दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2
(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार, 19 जुलाई, 2004/आषाढ़ 28,1926 शक

संख्या-48

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 15 जुलाई,2004 तक सचिवालय को 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । निम्नलिखित 03 संकल्पों ने बैलेटिंग में प्राथमिकता प्राप्त की और इन्हें 30 जुलाई,2004 को चर्चा के लिये लिया जायेगा :-

क्र.सं.	**सदस्य का नाम**	**संकल्प का पाठ**
1.	श्री ओ.पी.बब्बर	यह सदन संकल्प करता है कि वरिष्ठ नागरिकों की मासिक पेंशन 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी जाये। यह सदन यह भी संकल्प करता है कि विधवाओं और विकलांगों को एकमुश्त वित्तीय सहायता के अतिरिक्त मासिक पेंशन भी दी जाये।
2.	श्री धर्म देव सोलंकी	यह सदन संकल्प करता है कि मेट्रो रेल के कार्य के कारण विस्थापित हुए उन सभी मकान मालिकों एवं दुकानदारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता एवं वैकल्पिक स्थान दिया जाये । मुआवजा वास्तविक अधिभोगियों को दिया जाना चाहिये ।
3.	श्री रामबीर सिंह बिधूड़ी	यह सदन संकल्प करता है कि दिल्ली के सभी शहरीकृत एवं ग्रामीण गांवों को सम्पत्ति कर में छूट दी जाये ।

सिद्धार्थ राव
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Monday 19th July 2004 / 28 *Aashad* 1926 *(Saka)*

No. 48

Hon'ble Members are hereby informed that notices for ten resolutions were received by the Assembly Secretariat till the last date of receipt of Private Members Resolutions i.e. 15th July 2004. The following three resolutions have been selected on the basis of balloting. These would be taken up for discussion on the 30th July 2004:

Sl. No.	Name of the Member	Text of the resolution
1	Shri OP Babber	"This House resolves that the monthly pension to senior citizens be increased from Rs. 300 to Rs. 500. This House further resolves that widows and disabled persons be granted monthly pension in addition to the one time financial assistance."
2	Shri Dharam Deo Solanki	"This House resolves that all those house owners and shopkeepers who are displaced due to the Metro Rail work, should be provided adequate monetary compensation and alternative space. The compensation should be given to the actual occupants."
3	Shri Rambir Singh Bidhuri	"This House resolves that all the urbanized and rural villages of Delhi be exempted from the scope of property tax."

Siddharath Rao
Secretary